संख्या-2023/001-1534223

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2023

विषय:- जनपद औरैया के विधूना के अन्तर्गत ग्राम सभा बढिन में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1169/नि0छात्रावास मरम्मत पत्रा0/2021-22, दिनांक 03.01.2023, शासनादेश संख्या-2498/बयालिस-2019-34(विविध)/2018, दिनांक 28.11.2019 एवं शासनादेश संख्या-1645/बयालिस-2020-34(विविध)/2018, दिनांक 09.10.2020, शासनादेश संख्या-2150/बयालिस-2020-34(विविध)/2018, दिनांक 22.12.2020, शासनादेश संख्या-1936/बयालिस-2021-34(विविध)/2018, दिनांक 28.10.2021, शासनादेश संख्या-274/बयालिस-2022-34(विविध)/2018, दिनांक 24.02.2022 एवं शासनादेश संख्या-2022/001-1951422022, दिनांक 22.09.2022 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद औरैया के विधूना के अन्तर्गत ग्राम सभा बढिन में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा गठित आगणन लागत रू0 635.64 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 568.25 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष रू0 अवशेष देय धनराशि रू0 218.25 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-66-जनपद औरैया में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य से रू0 100.00 लाख अवमुक्त किये जाने के उपरान्त उक्त परियोजना हेतु मूल स्वीकृत लागत रू0 568.25 लाख में रू0 83.21 लाख जी0एस0टी0 की धनराशि जोड़ते हुए कुल रू0 651.46 लाख संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा संलग्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0-9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- A042-20222023-1534223,दिनांक-07 फरवरी, 2023 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से परियोजना हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि रू0 118.25 एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 83.21 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2,01,46,000-00 (रुपये दो करोड़ एक लाख छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-66-जनपद औरैया में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,01,46,000-00 (रुपये दो करोड़ एक लाख छियालीस हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 7 जून, 2022 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 नवम्बहर, 2022 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्थान की होगी तथा निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्थाु यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) निदेशक, खेल द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(12) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित जेम की व्यवस्था लागू किये जाने से सम्बन्धित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 में निहित प्राविधानों एवं क्रय की व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(16) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(18) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(19) निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(20) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(21) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(22) प्रस्ताव पर परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(23) शासनादेश संख्या-2498/बयालिस-2019-34(विविध)/2018, दिनांक 28.11.2019 ,शासनादेश संख्या-1645/बयालिस-2020-34(विविध)/2018, दिनांक 09.10.2020, शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2150/बयालिस-2020-34(विविध)/2018, दिनांक 22.12.2020, शासनादेश संख्या-1936/बयालिस-2021-34(विविध)/2018, दिनांक 28.10.2021, शासनादेश संख्या-274/बयालिस-2022-34(विविध)/2018, दिनांक 24.02.2022 एवं शासनादेश संख्या-2022/001-1951422022, दिनांक 22.09.2022 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,01,46,000 (रुपये दो करोड़ एक लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038006600 जनपद औरैया में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या < >, दिनांक- फरवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-**2023/001-1534223A,** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, औरैया ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, कानपुर/क्रीड़ा अधिकारी, औरैया।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।